



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-759/1436

रायपुर, दिनांक 29/06/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर
छत्तीसगढ़

विषय :- **Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 Proposed for LIC Building Dantewada, Area - 0.262 ha. Compartment No. P 1373**
संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ./ 1463 दिनांक 02.06.2022

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत रकबा 0.262 हे. वन भूमि में एल.आई.सी. बिल्डिंग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. फार्म ए पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 2 (Legal Status) के कॉलम में Protected Forest (संरक्षित वन) चयन कर अपलोड किया गया है। वनमंडलाधिकारी प्रपत्र -3 में आरक्षित वन (Reserved Forest) लेख है। आनलाईन सुधार कर प्रेषित करें।
2. फार्म ए पार्ट-1 के बिन्दु क्रमांक C (Maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल फाईल में खसरा क्रमांक 291 उल्लेख कर अपलोड किया गया है। जो वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नहीं है। सुधार आवश्यक है। C.(ii) b(1): Upload .kml ds attribute में विवरण; जैसे RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करें।
3. वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल फाईल, टोपोशीट, Geo-referenced map एवं फार्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ फाईल अपडेट सुधार अनुसार अपलोड करें।
4. Form A Part - I esa Coloum No. K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted " (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No" तत्संबंध में यदि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें।
5. Form A Part - II में Coloum No. 13 Details of land identified for Compensatory Afforestation (i) में प्रस्तावित क्षेत्र का के.एम.एल फाईल अपलोड किया गया है। उक्त कॉलम में सही जानकारी अपलोड करें।
6. Form A Part-II के कॉलम नं. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV)) में अपलोड भाग-2 वेब पोर्टल पर अपलोड करें।
7. वनमंडलाधिकारी कार्यालय के प्रपत्रों में अद्योहस्ताक्षरी के नाम तथा दिनांक अवश्य उल्लेख करें। प्रस्ताव में संलग्न भाग-2 में दिनांक अंकित नहीं है।

8. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (I) के अनुसार 10 वर्षीय रखरखाव योजना तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा कंडका क्रमांक 16 एवं 17 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना आवश्यक नहीं है लेख किया गया है। अतः 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित (वन मंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें एवं संलग्न सी.डी. में सही डाटा सुधार करें। (kml, .shp, Toposheet, Geo- Referance Map) आदि।
10. चूंकि यह एक Non Specific Project है अतः कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य हेतु कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः 3 प्रतियों में वापस किया जाता है।

संलग्न: प्रस्ताव मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 3 प्रतियों में।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-759/ 1437

रायपुर, दिनांक 29/06/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
2. वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, जीवन प्रकाश बीमा मार्ग, पी. बी. नं. - 10, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़